

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

30प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

खीरी, आजमगढ़, सीतापुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों के आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि जनपद- खीरी, आजमगढ़, सीतापुर के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹0 में)

| क्रमांक                | जनपद का नाम | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | स्वीकृत धनराशि | कुल धनराशि |
|------------------------|-------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1                      | 2           |                          | 3              |            |
| 1                      | खीरी        | 15.00                    | 20.00          | 35.00      |
| 2                      | आजमगढ़      | 15.00                    | 15.00          | 30.00      |
| 3                      | सीतापुर     | 15.00                    | 15.00          | 30.00      |
|                        | योग         | 45.00                    | 50.00          | 95.00      |
| (रूपये पचास लाख मात्र) |             |                          |                |            |

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://raht.upricin/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/7-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अथीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वितीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं 51 के अंतर्गत लेखाधीशक 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 07-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

  
(रणवीर प्रसाद)

सचिव।

संख्या- 856(1) /एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- मण्डलायुक्त, संबंधित जनपद, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(राम केवल)

विशेष सचिव।